

न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम:-प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्या:-22/2013

राधेश्याम पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी
नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—प्रत्यर्थीगण

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 08.10.2013 न्यायालय
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया बअनवान स्टेट बनाम
राधेश्याम मुकदमा नं. 45/2013 जिसके द्वारा अपीलार्थी
को धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत
नाजायज काश्त का दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है,
बमुसदा मन्सुखी आदेश एवं स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थित:-1-श्री राजीव कुलश्रेष्ठ वकील अपीलार्थी

2-श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता

स्टेट की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.03.2017

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के सक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि
अपीलार्थी के कब्जा काश्त में 4 एकड़आरए में मुरब्बा नं0 8 के किला नं0 2 व 3 में
0.215 हैक्टयर कृषि भूमि कब्जा काश्त में है तथा अपीलार्थी द्वारा अपनी डेढ फीट
कृषि भूमि को छोड़ते हुए तारबन्दी की हुई है। यह तारबन्दी भी अपीलार्थी की कृषि
भूमि में ही है। अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से रास्ता की कृषि भूमि पर नाजायज
काश्त नहीं की हुई है परन्तु इसके बावजूद भी अपीलार्थी की गांव के लोगो व सरपंच

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

से पार्टीबाजी का विवाद होने के कारण अपीलार्थी को नुकसान पहुंचाने के लिए मिथ्या आधारों पर पटवारी इल्का गिरदावर व तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से हुए तथा 3 फीट तारबन्दी दिखाते हुए मिथ्या आधारों पर रिपोर्ट तैयार कर अपीलार्थी को रास्ता की जगह पर नाजायज काश्त करने का दोषी मानकर अपीलार्थी के विरुद्ध एक प्रकरण संख्या 45/2013 दर्ज किया गया एवं नोटिस दिनांक 01.03.2013 प्रेषित किया गया। इस नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष उपस्थित होकर अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा इसके बावजूद भी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना व साक्ष्य का अवसर भी प्रदान किये बिना एवं उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत जाकर आपेक्षित आदेश दिनांक 08.10.2013 पारित कर अपीलार्थी को अतिक्रमी धोषित कर तावान लगाकर बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये। अपीलार्थी इस आक्षेपित आदेश दिनांक 08.10.2013 से विपरीत रूप से प्रभावित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की तलबी की गई।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी पर लगाये गये आरोपों का विरोध करते हुए उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जबाब पेश किया गया। अपीलार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.09.2013 को जबाब प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 24.09.2013 नियत करने पर अपीलार्थी द्वारा विरोध करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः बहस हेतु नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2013 को भी बहस नहीं सुनी गई और आदेश के लिए दिनांक 08.10.2013 नियत कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय का यह कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलार्थी कृषि भूमि की पैमाईश सही तरीके से नहीं की गई। निशानदेही के अभाव में अपीलार्थी को रास्ता पर अतिक्रमण का दोषी नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलार्थीन आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी स्वयं अधिवक्ता है जिसके द्वारा निरन्तर प्रत्यर्थी से आदेश की जानकारी प्राप्त की जाती रही परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा उसे निर्णय होते ही जानकारी देने का कड़ा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से अपीलार्थी को कुछ दिन पूर्व इस तथ्य की जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2013 को अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय जिसकी नकल भी जानबुझकर विलम्ब से दिनांक 11.11.2013 को उपलब्ध करवाई गई है। अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 08.10.2013 की जानकारी नहीं दी गई। अपीलार्थी को जिसकी जानकारी कुछ दिन पूर्व होने पर एवं प्रमाणित प्रति दिनांक 11.11.2013 को प्राप्त होने के पश्चात यह अपील बिना किसी देरी के अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई है। इन परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ संलग्न किया है। अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थीन निर्णय को निरस्त करने के

पुनः
दिल्ली नकल
नकल

आदेश फरमाये जावे। वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2006(1)आरजे पेज 639 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से रास्ता की भूमि पर नाजायज कारत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जबाब एवं साध्य का समुचित अवसर देते हुए अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्त का सःसम्मान अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के वकील ने दोराने बहस यह कथन किया कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.09.2013 को जवाब पेश किया जाना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 14.3.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़
जिला